न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 959 -दो / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-3-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 494 / बी- 121 / 09- 10

1- श्रीमती मुन्नीबाई पति श्री रूपचन्द्र
निवासी कोसमघाट तहसील व जिला जबलपुर
2- श्रीमती सरिता जायसवाल पति नरेन्द्र जायसवाल
निवासी म.नं. 104 नेपीयर टाउन,
जबलपुर म.प्र ----- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर म.प्र ------ अनावेदक

श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04 जून, 2014 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 494 / बी-121 / 09-10 मे पारित आदेश दिनांक 4-3-2014 के विरूद्ध प्रकरण म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि आवेदक क्रमांक-1 मुन्नीबाई के द्वारा विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका के पूर्वजो को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा ग्राम कोसमघाट मे ग्राम की सामुदायिक कोटवारी सेवा के एवज में वर्ष सन 1909-10 मे मौजा कोसमघाट बंदोबस्त नम्बर 551 प. ह.न. 48 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 20, 24, 278 जिसके बंदोबस्त के पश्चात नवीन सर्वे नम्बर 125, 120 तथा 171 तथा पुनः अगले बंदोबस्त के बाद खसरा नम्बर 137, 116, 216 रकवा क्रमशः 0.08, 0.10, 4.16 एकड़ कुल रकवा 4.34

एकड़ निर्मित हुये । उक्त भूमि मालगुजारी के दौरान आवेदिका के पूर्वज स्व पुटई प्रधान को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा ग्राम के सामुदायिक कोटवारी की एवज में वर्ष 1909–10 में कृषि प्रयोजन हेतु दी गई थी । स्व पुटई प्रधान की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर आवेदक क्रमांक 1 के ससुर स्व. धनीराम बतौर कोटवार काबिज रहे तथा धनीराम की मृत्यु के पश्चात् तथा वर्तमान मे आवेदिका क्रमांक 1 मुन्नीबाई कोटवार के रूप में उक्त भूमि पर काबिज चली आ रही हैं । इस प्रकार विगत 106 वर्षों से प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदिका तथा उसके पूर्वजों का निरंतर कब्जा चला आ रहा है । राजस्व अभिलेख में वर्ष 1909–10 के मिसिल बंदोवस्त के कॉलम न 6 में उक्त भूमि माफी खिदमती के रूप में दर्ज थी तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1954 (पुरानी संहिता) के लागू होने तक माफी खिदमती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आती रही । भू–राजस्व संहिता 1954 के लागू होने पर उक्त भूमि काश्तकार के साथ ग्राम नौकर के रूप मे राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई तथा म.प्र भू–राजस्व संहिता 1959 (नवीन संहिता) लागू होने पर उक्त भूमि सेवा भूमि के रूप में दर्ज कर दी गई । नवीन संहिता के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि में आवेदिका के पूर्वजों को धारा 185 के अन्तर्गत मौरुसी कृषक के हक प्राप्त होने तथा मालगुजार द्वारा भूमि के पुर्नग्रहण हेतु निर्धारित अवधि मे धारा 189 के अन्तर्गत आवेदन नहीं करने से आवेदिका के पूर्वजों को सहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकार म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) के प्रत्यक्षतः लागू होने से वैष्ठन दिनांक से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के पूर्वजों को भूमि स्वामी के रूप में दर्ज न कर उक्त भूमि सेवा भूमि के रूप में विधि विरुद्ध रूप से दर्ज चली आ रही है । अतः प्रश्नाधीन भूमियों को राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज करने तथा राजस्व अभिलेख तदनुसार संशोधित करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें ।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की जाच नायब तहसीलदार खम्हरिया से कराई गई । नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्र.क्र 18/अ–6–अ/06–07 में प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 7.7.2007 द्वारा प्रतिवेदित किया कि आवेदिका मुन्नीबाई ग्राम कोटवार कोसमघाट के नाम पर दर्ज सेवा भूमि खसरा नम्बर 116, 137, 216 रकबा क्रमशः 0.03, 0.04 एवं 1.71 है० उसके पति रूपचन्द के दादा परदादा के समय से उनके नाम पर चली आ रही है, जो ग्राम कोसमघाट में वर्ष 1909–10 से ग्राम नौकर रहे है । वर्ष 1909–10 मे उक्त भूमि मिसिल बदोवस्त के कॉलम 6 में माफी खिदमती के रूप मे दर्ज है वर्ष 1954 मे उक्त भूमि के साथ ग्राम नौकर तथा वर्ष 1959 मे नवीन संहिता लागू होने पर सेवा भूमि दर्ज किया जाने लगा । उक्त भूमि मालगुजार द्वारा ग्राम के सामुदायिक सेवा हेतु दी गई थी । इसलिये उक्त भूमि माफी खिदमती के रूप मे दर्ज हुई । उक्त भूमि संहिता के

प्रभावशील होने के दिनांक 2.10.1959 के बाद म.प्र. सरकार द्वारा पट्टे के रूप मे अथवा सेवा भूमि के रूप मे आवंटित नही की गई । उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के रिट याचिका क्रमांक 9632 / 2000 में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने दुर्ग जिले के 11 कोटवारो को भूमि स्वामी अधिकार दिये जाने के लिये राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया । इसी प्रकार म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा द्वारा 1985 राजस्व निर्णय 228 में निर्णय दिया है कि अगर ग्राम नौकर सामुदायिक सेवा कर रहा था तो स्वामित्व स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45(3) प्रत्यक्षतः लागू होती है, जिसके प्रभाव से वैष्ठन दिनांक से कोटवार शासन का मौरुसी काश्तकार हो जाता है । उक्त न्यायदृष्टातों के आधार पर नायब तहसीलदार, खम्हरिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदिका कमांक 1 के भूमि स्वामी दर्ज किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर की ओर भेजा गया । दिनांक 10.7.2007 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार का ध्यान म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक–एफ--9-19 '98 / सात / समन्वय के पैरा 3 की ओर आकर्षित करते हुये पुनः अभिमत चाहा गया। नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा अपने पुनः भेजे गये प्रतिवेदन में स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45(3) के प्रत्यक्षतः लागू होने तथा नवीन संहिता की धारा 185 के अन्तर्गत आवेदिका क 1 के मौरुसी काश्तकार की श्रेणी में आने तथा 190 के अन्तर्गत स्वतः भूमि स्वामी अधिकार प्रोदभूत हो जाने के तथ्य को रेखांकित करते हुये, न्यायदृष्टांत 1985 राजस्व निर्णय 288 (गौरीशंकर चौबे विरुद्ध बक्ता) के आधार पर पुनः स्पष्ट प्रतिवेदित किया कि इस प्रकरण में राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 25.8.2006 के अनुसार स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45(2) लागू न होकर धारा 45(3) लागू होती है । तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 3--1--09 को आदेश पारित करते हुए आवेदिका क 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि पर भूमि स्वामी घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करने का आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश को कलेक्टर जिला जबलपुर क द्वारा स्वप्ररेणा से पुनरीक्षण में लेकर प्र.क्र 348 / बी--121 / 2008--09 में दिनांक 5 5 2010 को आदेश पारित किया कि राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 25.8 2006 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोटवारों को दो तरह की भूमि दी जाती थी । एक ग्राम के सेवक के रूप में दो मालगुजार की व्यक्तिगत सेवा के रूप मे । स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45(2) के तहत वे भूमिया आती हैं, जो ग्राम के कोटवार को सेवा भूमि के रूप मे बतौर पारिश्रमिक दी गई है । ऐसी भूमियो पर सेवा भूमि होने से कोटवार को मौरुसी हक उत्पन्न नही होने से पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर का आदेश दिनांक 3.1.2009 निरस्त किया

गया । जिसके विरुद्ध आवेदिकागण द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा प्रकरण कमाक 494 / बी–121 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 4.3.2014 द्वारा अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि कलेक्टर न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय के द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(2) एव 45(3) के अन्तर को समझने में वैधानिक भूल की है । दोनों ही न्यायालयों ने अपना आदेश राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 25.8.2006 के आधार पर पारित किया गया है, जबकि उक्त दिनांक के बाद राजस्व विभाग द्वारा कई अन्य परिपत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कोटवार पंचायत में की गई घोषणा दिनांक 22.6.2007 के पश्चात् मालगुजार द्वारा कोटवारों को दी गई सेवा भूमि के संबंध में जारी किये हैं । अंतिम परिपत्र दिनांक 3.3.2010 को जारी किया गया था, जिसमें सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया था कि मालगुजारी के समय दी गई भूमियों पर विधि अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुये मालिकाना हक दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिये जांच के कुछ बिन्दु भी उक्त पत्र में निर्धारित किये गये हैं, परन्तु कलेक्टर न्यायालय द्वारा और अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के उक्त पत्र दिनांक 3.3.2010 के अनुसार कार्यवाही न करते हुये पुराने परिपत्र दिनांक 25.8.2006 के आधार पर आदेश पारित किये गये हैं। दोनों ही न्यायालयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा गौरीशंकर चौबे विरुद्ध बक्ता 1985 राजस्व निर्णय 228 पारित आदेश दिनांक 27.2.1985 के संबंध में कोई विवेचना नही की गई । इसी प्रकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमाक – 2632 / 2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 के आदेश से दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हे मालगुजारों द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2064 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व दिये जाने का आदेश पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा और अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टातों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया । दोनो ही न्यायालयों द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, सक्रात भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) को समझे बगैर आदेश पारित किया गया है । महाकौशल क्षेत्र में जमींदारी और जागीरदारी के समय ग्राम सेवको की दो श्रेणिया थी । प्रथम जो जो मालगुजार के सेवक थे । दूसरे जो गाव की सामुदायिक सेवा में थे । मध्य भारत लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी

एक्ट 1950 की धारा 99 उपरोक्त दोनो श्रेणियों को मान्यता देती है । जो भूमि लगान मुक्त होती थी । उक्त भूमियाँ favourable terms के अन्तर्गत मालगुजार द्वारा दिये जाने से उक्त भूमियां माफी खिदमती के रूप में दर्ज थीं और जो भूमि चैरिटी के रूप में दी गई थीं, वे भूमियां माफी खैराती के रूप में दर्ज थीं । अपर आयुक्त न्यायालय एवं कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त विभेद को समझे बगैर तथा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रात भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) की समुचित रूप से व्याख्या किये बगैर तथा दोनों ही न्यायालयों द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 185, 189 तथा 190 की भावना को समझे बगैर आदेश पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदकगण को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया गया है । दोनों ही न्यायालय द्वारा पुरानी म.प्र भू–राजस्व संहिता 1954 की धारा 166 के प्रावधान के विरुद्ध विधि विरुद्ध आदेश पारित किये गये हैं । अधीनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 3.1.2009 के द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के आलोक में संहिता के प्रावधानों की समुचित व्याख्या कर विधि संगत आदेश पारित किया गया है । उक्त आधारों पर कलेक्टर न्यायालय एवं अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर का आदेश स्थिर रखे जाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें ।

4/ अनावेदक मध्यप्रदेश शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओ का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त ने भी कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने मे कोई अवैधानिकता नहीं की है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य मे अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्म अवलोकन किया एवं प्रकरण में आये न्यायिक निर्णयो का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 57(2) का है जो आवेदिका क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26–9–2006 पर से प्रारंभ हुआ है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार, खम्हरिया से जांच कराई गई है । जांच उपरांत नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा दिनांक 7.7.2007 को प्रतिवेदन विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया । प्रतिवेदन मे नायब तहसीलदार खम्हरिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि – प्रश्नाधीन भूमिया वर्ष 1909–10 के पूर्व से भूतपूर्व मालगुजार द्वारा ग्राम की सामुदायिक सेवा हेतु मुन्नीबाई के ससुर के दादा पुटई को दी गई थी । तब से मुन्नीबाई अथवा उसके पूर्वज प्रश्नाधीन भूमियो पर लगातार काबिज

रहे तथा ग्राम कोसमघाट की कोटवारी करते रहे । उक्त भूमियां राजस्व अभिलेखो में वर्ष 1909-10 से माफी खिदमती के रूप मे दर्ज थी । उक्त भूमि वर्ष 1959 की संहिता के प्रभावशील होने के बाद पटटे पर अथवा सेवा भूमि के रूप मे आबटित नहीं की गई । अपितु मालगुजार द्वारा 106 वर्ष पूर्व ग्राम की कोटवारी की एवज में दी गइ थी । म.प्र. उच्च न्यायालय के द्वारा गौरीशंकर चौबे विरुद्ध बक्ता 1985 राजस्व निर्णय 228 मे यद्यपि मामला मालगुजार एवं कोटवार के बीच था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया कि कोटवार प्रोपराईटर का व्यक्तिगत सेवक नही । वादग्रस्त भूमि लगातार कोटवार के कब्जे में रही उसे कभी बेदखल नहीं किया गया वह लगातार कोटवार भी रहा । कोटवार के रूप में व्यक्तिशः मालगुजार का सेवक नहीं था । उसके द्वारा की गई सेवायें ग्रामवासियों के लिये थी अतएव म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम (एस्टेट, महल, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) प्रत्यक्षतः लागू होती है, जिसके प्रभाव से वैष्ठन दिनांक से कोटवार शासन का मौरुसी काश्तकार हो गया । इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त अंश कोटवार मुन्नीबाई अथवा उसके पूर्वजों पर पूर्णतः लागू होते हैं । जिसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि कोटवार शासन का मौरुसी काश्तकार नवीन संहिता लागू होने के समय हो गया था । मालगुजार द्वारा भूमि के पुर्नग्रहण हेतु नवीन संहिता की धारा 189 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत नही करने से संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकार उक्त मौरुसी कृषक अर्थात् वर्तमान कोटवार मुन्नीबाई को उद्भूत हो जाते हैं ।" कलेक्टर न्यायालय द्वारा एवं अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा विधि के इस सहज निष्कर्ष की अनदेखी कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट याचिका क्रमांक – 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण में दिनांक 30.10.2001 के आदेश से दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारों को जिन्हें मालगुजारों द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गई थी, भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया । इसी प्रकार रिट याचिका क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनाक 3.5.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारों को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया । कलेक्टर और अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है । कलेक्टर एव अपर आयुक्त द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनाक 25.8.2006 के आधार पर स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45(2) के लागू नहीं होने के आधार पर कोटवार को भूमि स्वामी अधिकार सेवा भूमि पर अर्जित नहीं होने के कारण आदेश पारित किये गये हैं जबकि राजस्व विभाग द्वारा इस संबध मे समय-समय पर अनेक परिपत्र जारी किये । राजस्व विभाग द्वारा जारी अंतिम परिपत्र दिनांक 3.3.2010 स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि मालगुजारी के समय दी गई भूमियों पर विधि अनुसार पात्रता का परीक्षण

करते हुये मालिकाना हक दिया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इन बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाये (1) क्या मालगुजारी द्वारा कोई भूमि दी गई है ? (2) क्या वह भूमि कोटवारों को सेवा भूमि के रूप में दी गई ? (3) विधि अनुसार परीक्षण किया जाना है । (4) संबंधित को विधि अनुसार पात्र होना चाहिये (5) मालगुजारी की दी गई भूमि का उपयोग वर्तमान कोटवार द्वारा किया जा रहा है अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा । कलेक्टर न्यायालय और अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र मे दिये गये दिशा निर्देशों को विधि की कसौटी पर न परखते हुये पुराने परिपत्र के आधार पर आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है ।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति (एस्टेट्स, महल्स, संक्रांत भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(2) एवं 45(3) को भी समुचित रूप से नहीं समझा गया है । उक्त अधिनियम की धारा 45(2) के अनुसार –

> " Any person holding land as village service land shall be defined to be holding it from the State and shall be governed by the provisions contained in sections 42 to 48 of the Central Provinces Tenancy Act, 1920."

उक्त अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार :–

> " Any person holding land other than 'Sir' land from the proprieter on favourable terms for services rendered by him shall from the date of vesting be declaired to be an occupancy tenant of the state and the deputy commissioner shall fix the rent to be paid by him."

अधिनियम की धारा 45(3) के सरल पाठ से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओ के बदले जो मालगुजार से मालगुजार की खुदकाश्त भूमि को छोडकर भूमि favourable terms मे प्राप्त करता है, वैष्ठन दिनांक से उक्त भूमि का मौरुसी कृषक घोषित किया जायेगा तथा भूमि का राजस्व उपायुक्त द्वारा नियत किया जायेगा । प्रश्नाधीन भूमि मालगुजार की खुदकाश्त भूमि नही थी, अपितु कोटवार द्वारा की गई सामुदायिक सेवा के बदले मे मालगुजार द्वारा दी गई थी । उक्त भूमि तत्कालीन राजस्व अभिलेखो मे माफी खिदमती के रूप मे दर्ज है। अर्थात् मालगुजार द्वारा उक्त भूमि सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि के रूप मे प्रदाय की गई थी जो स्पष्ट रूप से favourable terms के अन्तर्गत आती है । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियो पर म.प्र. स्वत्व समाप्ति (एस्टेट्स, महल्स, सक्रात भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45(3) लागू होती है ।

मुन्नीबाई तथा उसके पूर्वज प्रश्नाधीन भूमियो पर लगातार काबिज रहे तथा वर्ष 1909--10 से ही लगातार कोटवार के रूप मे गाव की सेवा करते रहे । प्रश्नाधीन भूमियो पर उपरोक्त धारा 45(3) के अन्तर्गत मुन्नीबाइ मौरुसी कृषक हो जाती है । जिसे संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत पूर्व मे की गई विवेचना के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमि स्वामी अधिकार दिये जाने संबधी आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर आदेश पारित किये गये है अतः उनके आदेश स्थिर नही रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.2009 स्थिर रखा जाता है तथा कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 348 / बी--121 / 08--09 में पारित आदेश दिनाक 5.5.2010 एव अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 494 / बी--121 / 09--10 में पारित आदेश दिनांक 4.3.2014 विधिसम्मत न होने से निरस्त किए जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर